संख्या-2097 /14-2-2015-800(150)/2014

विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी

विषय- जनपद सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत आर0एस0 रोड से जेठी रोड तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 4.875 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

करें।

वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत आर0एस0 रोड से जेठी रोड तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 4.875 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है-

(1) **प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण** (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). **में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।**

(2) **उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण**

(3) **प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।**

(4) **वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।**

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

(6) प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति)/ फॉना (वन्य जीव) के हर सम्भव उपाय करेंगे।

(7) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य होगा।

उनसे सम्बन्धित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन वनाधिकरी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(9) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(12) इस संबंध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 13-02-2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।

गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू में दर्शाया गया है।

का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

के अनुश्रवण के अधीन होंगी।

(16) प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।

से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(18) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(19) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(20) उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-2097(1)/14-2-2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

लखनऊ।

7- गार्ड फाइल।

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra